2

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 12/2020 राजस्व वाद

उनवान

1. मूलचंद पिता गणेशलाल शर्मा निवासी मंगरोप तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा

..... विपक्षी

## वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व संपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती

उपस्थित :::– श्री राजमल तिवाडी .........अधिवक्ता वादी उप0
विपक्षी संख्या 01.......... पेरोकार सरकार उप0

## –:: निर्णय ::–

दिनांक 08.03.2022

यह है कि वादी की ओर से एक वादपत्र वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिकनियम व संपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती के अन्तर्गत दिनांक 11.03.2020 को प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया की ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप तह हमीरगढ के खाता संख्या 766 में वर्णित आराजी संख्या 215/2 रकबा 0.0759 है0 219 रकबा 0.4679 है0 220 रकबा 0.4173 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.9611 है0 भूमि स्थित है जिसके लिये नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 वादपत्र के साथ प्रस्तुत है जो तन्हा वादी के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप तह हमीरगढ के खाता संख्या 766 में वर्णित आराजी संख्या 215/2 रकबा 0.0759 है0 219 रकबा 0.4679 है0 220 रकबा 0.4173 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.9611 है0 भूमि स्थित है जिसके लिये नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 वादपत्र के साथ प्रस्तुत है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड है। चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात में वादी का नाम मूलचन्द पिता गणेशलाल की जाति राव अंकित है जबकि वादी के शिक्षा के प्र... में राजकीय सेवा के प्रमाण पत्रों में व आधार कार्ड, पहचान पत्र व ... खातों में वादी का नाम मूलचन्द पिता गणेशलाल शर... राजस्व अभिलेखों में ... राव अंकित होने से वादी को सरकारी योजनाओं का लाभ न... मिल पा रहा है। ... अलग–अलग अंकित होने से वादी के अधिकारों व हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है व वादी को भारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:54:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

परेशानियों का समाना करना पड रहा है जिससे वादी को अपने सरकारी दस्तावेंजो व राजस्व अभिलेखों में एकरूपता लाने के लिये वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना आवश्यक है कि वाद पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित खाता संख्या 766 में वर्णित वादी मूलचन्द पिता गणेशलाल शर्मा तन्हा खातेदार कायतकार है व खाता संख्या 765 में वर्णित वादी मूलचन्द पिता गधेशलाल शर्मा 1/23 हिस्से का खातेदार काश्तकार है व इसी प्रकार राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज दुरस्त कराना आवश्यक है व वादी की जाति राव की जगह शर्मा अंकित कराया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। वाद कारण विरूद्ध प्रतिवादी दिनांक 17.02.2020 को पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या एक ने वादी को जाति राव की जगह शर्मा अंकित करने से मना कर दिया तब से पैदा होकर निरन्तर जारी है। यह है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिकी जारी फरमायी जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित खाता संख्या 766 में वर्णित वादी मूलचन्द पिता गणेशलाल शर्मा तन्हा खातेदार काश्तकार है व खाता संख्या 765 में वर्णित वादी मूलचन्द पिता गणेशलाल शर्मा 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है व इसी प्रकार राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज दुरस्त करा वादी की जाति राव की जगह शर्मा अंकित कराया जावे। तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अंकित कराने का आदेश फरमाया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटीस जारी किये गये विपक्षी पेरोकार राज ने अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत कर वादी के प्रा.पत्र के खण्डन में यह अनुरोध किया की वादी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में जाति राव दर्ज है जबकि संलग्न दस्तावेज मूलनिवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड में मूलचंद पिता गणेशलाल शर्मा दर्ज है मूलचंद शर्मा एवं मूलचन्द राव एक ही व्यक्ति है यह वादी स्वयं सिद्ध करावें। अर्थात पेरोकार सरकार ने वादी के प्रा.पत्र को मूल रूप से अस्वीकार किया है। प्रस्तुत जावाब जो पत्रावली में रेकार्ड पर उपलब्ध है। वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो पत्रावली में रेकार्ड पर उपलब्ध है।

जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई प्रस्तुत बहस पर मनन किया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

वादी को ओर से प्रस्तुत किये गये आवेदन में अपने जाति का संशोधन चाहा गया है। हालांकि पेराकार राज ने अपने लिखित कथन में जो आपत्ति दर्ज की है, वो युक्तियुक्त है। वादी की ओर से जो दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। उसमें मूलनिवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो राजस्व रेकॉर्ड से कोई संबंध नही है। राजस्व रेकॉर्ड के आधार पर यह सही सिद्ध नही होता है की राव से पहले शर्मा श... वादी द्वारा पूर्व कि जमाबंदी न्यायालय को पेश की गई। ऐसी स्थिति... वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:54:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़

## —:: आदेश::—

अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व संपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट में इंगित तथ्यों को वादी सिद्ध कराने में असफल रहने तथा वादपत्र आधारहीन तथ्यों पर आधारित प्रस्तुत हुआ माना जाकर पोषणीय नही होने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। आदेश आज दिनांक 08.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:54:59 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अंतिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 12/2020

उनवान

1. मूलचंद पिता गणेशलाल शर्मा निवासी मंगरोप तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

....वादी

बनाम

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा

..... प्रतिवादी

## वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व संपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती

उपस्थित :::–श्री राजमल तिवाडी .....अधिवक्ता वादी उप0

विपक्षी संख्या 01 .....पेरोकार सरकार उप0

वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व संपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट में इंगित तथ्यों को वादी सिद्ध कराने में असफल रहने तथा वादपत्र आधारहीन तथ्यों पर आधारित प्रस्तुत हुआ माना जाकर पोषणीय नही होने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। आज दिनांक 08.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:54:59 IST
Reason: SelfAttested